न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकरी– II, बलिया

जी.आर. नं0– 2582/11

राज्य बनाम निशा देवी

17/03/2020 अभियुक्त पूजा कुमारी, आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है, उनके ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता नथुनी यादव के द्वारा एक जमानत आवेदन सह आत्मसमर्पण साथ नवीन शक्ति पत्र भी दाखिल किया, जमानत आवेदन की एक प्रति अभियोजन को दी गई।

जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त निर्दोष है और कोई अपराधी कार्य नहीं किया है। यह कि अभियुक्त श्रीमान् के आदेश दिनांक– 27/11/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत जमानत आवेदन से पूर्व किसी भी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। यह कि अभियुक्त को ग्रामीण राजनीतिक के तहत झूठा फंसाया गया है। यह कि अभियुक्त का अग्रीम जमानत आवेदन सं0– 1127 दिनांक– 22/09/2011 को श्रीमान् सत्र न्यायाधीश बेगूसराय के न्यायालय में हुआ था। यह कि प्रस्तुत अभिलेख बेगूसराय से श्रीमान् के न्यायालय में आने की जानकारी नहीं होने के कारण दिनांक– 27/11/2018 को उचित पैरवी की अभाव में श्रीमान् के द्वारा बंध पत्र खंडित कर दिया गया एवं गैरजमानतीय अधिपत्र को निर्गत करने का आदेश हुआ एवं दिनांक– 04/12/2018 को निर्गत हुआ। यह कि दिनांक– 08/05/2019 को अभियुक्त के विरूद्ध 82 दं0प्र0सं0 का आदेश हुआ एवं दिनांक– 14/05/2019 को निर्गत हुआ। यह कि अभियुक्त कि संज्ञान के बाद प्रथम उपस्थिति है। यह कि अभियुक्त ने जानबूझकर जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। यह कि अभियुक्त के किसी भी साक्षी को बिगार करने की कोई संभावना नहीं है। यह कि अभियुक्त पर लगाए सभी धाराएं– 341, 323, 504/34 भा0द0वि0 है। यह कि अभियुक्त आज स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किये हैं। यह कि अभियुक्त उचित प्रतिभू का बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए। अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है। यह कि अभियुक्त आज स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किए हैं यह कि अभियुक्त पर लगाए गए सभी धाराएं– 341, 323, 504/34 भा0द0वि0 हैं। यह कि अभियुक्त कि संज्ञान के बाद प्रथम उपस्थिति है। अतः तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तों को मो0 5,000 (पॉच हजार रूपया) के एक जमानतदार का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 दंडा0– II

तत्पश्चात्

17/03/2020 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त पूजा कुमारी, से मांगे गए रकम का बंध पत्र एवं वचन बद्धता दाखिल किया गया। जिसे जांचोपरांत सही पाकर ..... किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 दंडा0– II